बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 240697 पटना, दिनांक 04/08/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(किस्त)-102-21/2013

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों को पुनरीक्षित दर से किस्तों में सहायता राशि के भुगतान की आवास सॉफ्ट पर इंट्री के संबंध में ।**

प्रसंग :- 1. विभागीय पत्रांक-188382 दिनांक-16.06.14, पत्रांक-206219 दिनांक-21.10.14 एवं पत्रांक-211145 दिनांक-03.12.14

2. (i) उप विकास आयुक्त, सुपौल का पत्रांक-889 दिनांक-13.07.15
(ii) जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक-110 दिनांक-29.06.15
(iii) उप विकास आयुक्त, मधुबनी का पत्रांक-1131 दिनांक-27.06.15
(iv) उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-1986 दिनांक-08.07.15

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में निहित विषयवस्तु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय पत्रांक-188382 दिनांक-16.06.14 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 60,000 (साठ हजार रूपये) सहायता राशि का भुगतान अग्रिम स्वरूप किये जाने तथा उक्त राशि से लाभुकों द्वारा इंदिरा आवास का छत ढलाई तथा शौचालय निर्माण पूर्ण करने के बाद भी लाभार्थी को द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में अवशेष राशि (10,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 15,000 IAP जिलों के लिए) भुगतान करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया था ।

इसी प्रसंग में विभागीय पत्रांक-206219 दिनांक-21.10.14 द्वारा पूर्व के आदेश में परिवर्तन करते हुए यह निदेश दिया गया कि लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि के रूप में सामान्य जिलों के लिए 35,000 रूपये एवं IAP जिलों के लिए 37,500 रूपये का अंतरण किया जाय ।

उपर्युक्त विभागीय निदेशों पर पुन: सम्यक रूप से विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य के विरूद्ध इंदिरा आवास के लाभुकों को विभागीय पत्रांक-188382 दिनांक-16.06.14 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही दो किस्तों में यथा प्रथम किस्त के रूप में 60,000 रूपये एवं द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में 10,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 15,000 IAP जिलों के लिए भुगतान को यथावत किया गया ।

उपर्युक्त विभागीय निदेशों के द्वारा लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि भुगतान करने के संबंध में समय-समय पर परिवर्तन किये जाने के कारण जिलों में इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि के भुगतान में एकरूपता नहीं रह गयी और इस कारण से लाभुकों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान का आवास साफ्ट पर प्रविष्टि, ऑर्डर शीट जेनरेट करने आदि की कार्रवाई करने में हो रही कठिनाई के समाधान करने की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है ।

उपयुक्त कठिनाईयों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में लाभुकों को प्रथम/द्वितीय किस्त की सहायता राशि भुगतान करने के संबंध में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अलोक में आवास सॉफ्ट पर प्रावधान करने हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से किये गये विभागीय अनुरोध पर पुन: लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि 60,000 (साठ हजार रूपये) में से अवशेष राशि (25,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 22,500 IAP जिलों के लिए) का भुगतान करने हेतु ऑर्डर शीट आवास सॉफ्ट के माध्यम से Generate करने का प्रावधान कर दिया गया है । आवास साफ्ट से निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से प्रथम किस्त के अवशेष राशि का आर्डर शीट Generate किया जा सकता है :-

(1) वैसे सभी लाभुक जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 35,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 37,500 IAP जिलों के लिए भुगतान किया गया है, उन लाभुकों के लिए प्रथम किस्त की अवशेष राशि का भुगतान हेतु 25,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 22,500 IAP जिलों के लिए का अन्य आर्डर शीट Generate होगा ।

(2) Installment में 1.5 Select करने के पश्चात वैसे सभी लाभार्थियों का अन्य आर्डर शीट Generate होगा जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 35,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 37,500 IAP जिलों के लिए भुगतान दे दिया गया है ।

(3) प्रथम किस्त के रूप में Generate किये जाने वाले 25,000 रूपये सामान्य जिलों के लिए एवं 22,500 IAP जिलों के लिए का अतिरिक्त आर्डर शीट का Fund Transfer भी किया जायेगा ।

(4) वैसे सभी लाभार्थी जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में पूर्व में ही एक मुश्त 60,000 रूपये का भुगतान किया गया है, के मामले में द्वितीय/अवशेष राशि का आर्डर शीट आवास सॉफ्ट के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जेनरेट होगा ।

अत: अनुरोध है कि वैसे सभी लाभार्थी जिनकी इंट्री MIS पर नहीं की जा सकी है, का उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार इंट्री पूरी करा ली जाय ताकि MIS पर वास्तविक व्यय प्रदशित हो सके । इस क्रम में यदि कोई समस्या आती है तो समस्या का Screen Shot - misiaybihar@gmail.com/ iay-nic@nic.in पर भेजा जाय ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 4/8/15

(प्रदीप कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 240697 पटना, दिनांक 04/08/15

प्रतिलिपि- सभी पमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार 4/8/15

सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1291.doc